

3. प्राथमिक और नर्सरी शिक्षा तथा संस्कृति के क्षेत्र में :-

- (क) शैक्षणिक संस्थानों का दौरा;
- (ख) पूछताछ के लिए उपस्थिति तथा अन्य रजिस्ट्रों की जाँच और शैक्षिक कमियों तथा गाँव की आवश्यकताओं के बारे में सम्बन्धित प्राधिकरण को रिपोर्ट देना;
- (ग) प्राथमिक और पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों के वार्षिक बजट पर सिफारिशें प्रस्तुत करना;
- (घ) ग्राम परिषद को प्रदत्त शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण और मरम्मत कार्य;
- (ङ) विद्यार्थियों की नियमितता, शिक्षकों की उपस्थिति और विद्यालय कार्यों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

4. स्व-रक्षा और ग्राम रक्षा के क्षेत्र में:-

- (क) गाँव तथा उसमें उपलब्ध फसलों की देख रेख और स्वेच्छिक संगठनों अथवा इसी तरह के अन्य संगठनों का गठन, प्रोत्साहन और इन संगठनों को सहायता प्रदान करना;
- (ख) स्व-रक्षा और ग्राम रक्षा के प्रयोजन के लिए गाँव के युवाओं को प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना और ऐसे प्रशिक्षण, जिसे सरकार द्वारा आयोजित किया जा सकता है, को सहायता प्रदान करना;
- (ग) आग की रोकथाम, अग्निशमन में सहायता प्रदान करना और आग लगने के समय जीवन और माल की सुरक्षा करना ।

5. योजना और प्रशासन के क्षेत्र में :-

- (क) गाँव के विकास के लिए योजनाएँ तैयार करना;
- (ख) राज्य सरकार के मृदा सुधार परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करना;
- (ग) बेरोजगारों के लिए रोजगार के प्रावधानों अथवा गाँव के बेरोजगार निवासियों के साथ गाँव का आर्थिक सर्वेक्षण करना;
- (घ) बजट तैयार करना, लेखा का संकलन और रखरखाव करना, कोष की अभिरक्षा और उपयोग, करों का आकलन तथा संकलन और लेखा कोड का अनुरक्षण;
- (ङ) गाँव के किसी भी प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायता का उपयोग;